अंचल अधिकारी का कार्यालय, चाण्डिल।

(देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

अनुसूची फार्म सं0–662

आदेश फलक

अनुमण्डल– चाण्डिल

अंचल– चाण्डिल

जिला– सरायकेला–खरसावाँ

केस का प्रकार– जमाबंदी दर्ज करने के संबंध में।

अभिलेख सं0– 38/25–26

आदेश की कम संख्या और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
19.07.25	अभिलेख का संधारण राजस्व उप निरीक्षक श्री देवाशीष महतो एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक श्री मनोज कुमार महतो के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक अब्दुल रज्जाक के द्वारा परिशोधन पोर्टल में शिकायत सं0– PRI24060203327138320252111333320563, दिनांक– 11.02.2025 मौजा– कपाली, खाता सं0– 152, प्लॉट सं0– 1326 अन्तर्गत भूमि कम्प्यूटराईजेशन के दौरान निम्न आवेदित भूमि का छुटे हुए जमाबंदी की ऑनलाईन प्रविष्टि हेतु समर्पित आवेदन के आलोक में जाँच किया गया। जाँचोपरान्त प्रतिवेदित भूमि की विवरणी निम्नवत है :–	

क0	मौजा/थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा (डी0 में)	पंजी II रैयत का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	कपाली/332	152	1326	4.95	रसीदा खातुन, पति– अब्दुल राउफ, ना0मु0सं0– 632/08–09 के अनुसार

उक्त भूमि का जमाबंदी पंजी II में संधारित नहीं पाया गया। कार्यालय में उपलब्ध नामांतरण अभिलेख से मिलान करने पर पाया गया कि मौजा– कपाली, थाना सं0– 332, खाता सं0– 152, प्लॉट सं0– 1326, रकवा– 0.49 डी0 भूमि ना0मु0सं0– 632/08–09 के द्वारा नामांतरित होकर रसीदा खातुन, पति– अब्दुल राउफ के नाम पर दर्ज है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन, नामांतरण शुद्धि पत्र की प्रति अभिलेख के साथ संलग्न है। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा ऑनलाईन पंजी II में दर्ज करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त भूमि का ऑनलाईन पंजी II में दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है।

अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

लेखापित

(हस्ताक्षर) 19.07.25

अंचल अधिकारी
चाण्डिल।

(हस्ताक्षर) 19.07.25

अंचल अधिकारी,
चाण्डिल।

Digitally signed by AMIT KUMAR SRIVASTWA
Date: 2025.07.19 16:29:24 +05:30
Location: 10.50.223.225